न्यायालय अति० जिला कलेक्टर स०मा०

फु०न० 27/21 उनवानी सरकार बनाम आनंद शर्मा

30/6/22

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री विनोद कुमार अग्रवाल अधिवक्ता उपस्थित हुए । अप्रार्थी के वकील द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी की दुकान से खाद्य पदार्थ **Vanaspati Cooking Oil (Ganga Shree Brand) 1** लीटर पैक का सेम्पल लिया तथा अप्रार्थी से निर्माता कम्पनी – ऋषभ एन्टरप्राईजेज कोटा के दस्तावेज चाहे गये थे जो अप्रार्थी द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराये गये थे। पुनः अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा विक्रेता व फर्म मालिक के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृती आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2021/1900 दिनांक 31–08–2021 से पारित किये गये थे किंतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मालिक से साज कर उसे प्रकरण में पार्टी नहीं बनाया गया है। अपनी बहस के अन्त में अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रस्तुत अभियोग पत्र का अवलोकन करने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं अप्रार्थी की बहस पर मनन करने पर अप्रार्थी द्वारा किया गया कथन कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में निर्माता कंपनी को पार्टी नहीं बनाया गया है, की पुष्टि होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निर्माता फर्म को भी पक्षकार बनाया जाकर प्रकरण को लिये जे इस न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध प्रकरण में लापरवाही हेतु कार्यवाही किया जाकर अदालत हाजा को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जारी 843 12/7/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:40 IST
Reason: SelfAttested